निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर, जयपुर (राज॰)

प्रकरण संख्या 45/2017 (राजस्व अपील)

1. छीतर (मृतक)

1/1. श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नी स्व॰ श्री छीतर मल

1/2. कजोड सैनी पुत्र स्व॰ श्री छीतर मल

1/3. नानूराम सैनी पुत्र स्व॰ श्री छीतर मल

1/4. कानाराम सैनी पुत्र स्व॰ श्री छीतर मल

1/5. चन्दालाल सैनी पुत्र स्व॰ श्री छीतर मल

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम मालीवाडा, कालवाड, तहसील व जिला जयपुर ।

1/6. श्रीमती बोदी पत्नी स्व॰ श्री कालूराम पुत्री स्व॰ श्री छीतर मल जाति माली, निवासी नाती काली ढाणी, ग्राम मूण्डोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

1/7. श्रीमती नारंगी पत्नी श्री गणपत लाल सैनी पुत्री स्व॰ श्री छीतर मल जाति माली निवासी पिण्डोलाई, तहसील व जिला जयपुर ।

1/8. श्रीमती झूमा देवी पत्नी श्री बाबूलाल सैनी पुत्री स्व॰ छीतर मल जाति माली, निवासी ग्राम श्री रामपुरा, मुकुन्दपुरा के पास, नगर निगम तहसील व जिला जयपुर ।

1/9. श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री मुकेश सैनी पुत्री स्व॰ श्री छीतर मल जाति माली, निवासी प्लाट नम्बर 9, बी, जगन्नाथपुरी, झोटवाडा, जयपुर।

2. कल्याण

3. सन्ता (मृतक)

3/1. श्रीमती धन्नी देवी पत्नी स्व॰ श्री सन्ता

3/2. पांचूराम पुत्र स्व॰ श्री सन्ता

3/3. बाबूलाल पुत्र स्व॰ श्री सन्ता

3/4. छोटूराम पुत्र स्व॰ श्री सन्ता

3/5. रामधन पुत्र स्व॰ श्री सन्ता

3/6. हीरालाल पुत्र स्व॰ श्री सन्ता

3/7. फूलचन्द पुत्र स्व॰ श्री सन्ता

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम कालवाड, तहसील व जिला जयपुर ।

3/8. श्रीमती मैना पत्नी श्री राजूलाल सैनी पुत्री स्व॰ श्री सन्ता निवासी ग्राम नींदड ढाणी, ईश्वरीसिंहपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

4. मंगला उर्फ मंगल पुत्रान बिरदा

5. नाथू

6. रतन

7. राम लाल पुत्रान स्व॰ श्री गोपाल

8. श्रीमती जमना बेवा स्व॰ श्री गोपाल

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम कालवाड, तहसील व जिला जयपुर ।

अपीलार्थीगण

जिला कलक्टर
जयपुर

बनाम

1. तहसीलदार जयपुर, जिला जयपुर।
2. श्रीमती मन्नी देवी उर्फ नारायणी पत्नी श्री घीसालाल माली, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 9, श्रीराम नगर, फुलेरा, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत खण्ड 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित किया गया आदेश जिसके तहत ग्राम कालवाड तहसील जयपुर का नामान्तरकरण संख्या 2816 आदेश दिनांक 05.11.2015 को स्वीकृत किया गया ।

उपस्थित :–

1.श्री हितेश अग्रवाल अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।

2.श्री सुरेश चाहर अधिववक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 26.10.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने राजस्व ग्राम कालवाड तहसील जयपुर के नामान्तरकरण संख्या 2826 पर तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.11.2015 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस प्रत्यर्थी को जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री सुरेश चाहर के उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलान्ट के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थीगण मालीवाडा ग्राम कालवाड तहसील जयपुर जिला जयपुर के निवासी है एवं मृतक बिरदा के पुत्र है। अपीलार्थी संख्या 5 , 6 एवं 7 बिरदा के मृतक पुत्र गोपाल के पुत्र है व अपीलार्थी संख्या 8 मृतक गोपाल की पत्नी है व गोपाल के उत्तराधिकारी है। अपीलार्थीगण ग्राम कालवाड तहसील जयपुर जिला जयपुर में स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 649 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 650 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 651 रकबा 09 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 653 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 740 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 757 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 758 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 759 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 760 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 762 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, कुल किता 10 कुल रकबा 52 बीघा 1 बिस्वा है। उक्त कृषि भूमि को अपीलार्थीगण जागीर के जमाने से काश्त करते आ रहे है व लगान जमा कराते आ रहे है तथा अपीलार्थीगण खातेदार काश्तकार है जो कि वर्तमान में भी अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त में

जिला कलक्टर
जयपुर

है,जिसका उपयोग उपभोग अपीलार्थीगण करते आ रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रीमती मन्नी देवी उर्फ नारायणी देवी ने ग्राम कालवाड तहसील जयपुर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 649 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 650 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 651 रकवा 9 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 653 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 740 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 557 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 758 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 759 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 760 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 762 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, कुल किता 10 कुल रकबा 52 बीघा 1 बिस्वा भूमि के 1/4 हिस्से के सम्बन्ध मे घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु एक दावा अपीलार्थीगण के विरूद्व इस आशय का दायर किया कि उपरोक्त भूमियों में वादिनी के पिता स्व॰ श्रीमती बीज्या का राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज था, उसको 1/2 हिस्से बाबत खातेदारी हक एवं अधिकार प्राप्त थे तथा वे अपने हक व हिस्से की भूमि में काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे थे तथा उन्होंने अपने हक व हिस्से की जमीन को भी विक्रय नहीं की और उनका स्वर्गवास दिनांक 05.10.1972 को हो गया। उनकी मृत्यु होने के पश्चात उनके हिस्से की भूमि के बाबत कानूनन वादिनी व उसके भाई बंशीलाल को समान अधिकार प्राप्त हुए। मृतक बंशीलाल जो वादिनी का सगा भाई था, उसने बिज्या द्वारा छोडी गई भूमि का नामान्तरकरण अकेले अपने नाम खुलवा लिया जो, अवैद्य है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अर्थात अपीलार्थीगण ने मृतक बंशीलाल व प्रतिवादी संख्या 9 के खिलाफ अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 माननीय न्यायालय में वाद संख्या 78/1989 उनवानी छीतर व अन्य बनाम वंशी व अन्य बाबत घोषणा का प्रस्तुत किया गया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2001 को डिकी करते हुए उपरोक्त सम्पूर्ण भूमियों का खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 अपीलार्थीगण घोषित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व बंशीलाल ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील पेश की, जिसे दिनांक 24.08.2004 को स्वीकार करते हुये माननीय न्यायालय द्वारा वाद संख्या 78/1989 में पारित आदेश दिनांक 28.05.2001 को निरस्त कर दिया। तत्पश्चात न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के आदेश के विरूद्व अपीलार्थीगण ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील पेश की। उक्त अपील में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 अर्थात मिन अप्रार्थीगण व बंशीलाल ने वादिनी (रेस्पोडेन्ट संख्या–2) को उसके हिस्से की भूमि से वंचित करने की नियत से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में राजीनामा प्रस्तुत करते हुये माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की अपील को स्वीकार करवा लिया । जिस पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 05.02.2007 को निर्णय पारित करते हुये न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.2004 को निरस्त करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश व डिकी दिनांक 28.05.2001 की पुष्टि करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 (अपीलार्थीगण) को उक्त भूमियों का खातेदार काश्तकार मान लिया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 02.05.2007 को पारित निर्णय वादिनी (रेस्पोडेन्ट संख्या 2) के अधिकारों के विरूद्व अवैद्य एवं शून्य है। इसलिए वादिनी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को उपरोक्त भूमियों में 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपील सख्या 175/2004 जिला जयपुर (आई डी नम्बर 12549/2004) उनवानी छीतर व अन्य बनाम बंशी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2007 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम

जिला कलक्टर जयपुर

राजस्व वाद संख्या 78/1989 व उनवानी छीतर व अन्य में पारित निर्णय डिकी दिनांक 28.05.2001 को वादिनी (रेस्पोडेन्ट संख्या–2) के हक व अधिकारों के मुकाबले अवैद्य व प्रभाव शून्य घोषित किया जावे एवं तदनुसार उपरोक्त भूमियों का तकासमा किया जाकर अपीलार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे एवं तदनुसार उपरोक्त भूमियों का तकासमा किया जाकर अपीलार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वादिनी (रेस्पोडेन्ट संख्या–2) द्वारा प्रस्तुत वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 (अपीलार्थीगण) की ओर से जबाब प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित अभिवचनों से इन्कार करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त भूमियों की खातेदारी एवं कब्जे काश्त से बिज्या पुत्र चौथू का कभी किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रहा है एवं छोटी सी उम्र में कालवाड छोड कर फुलेरा चला गया था तथा वही रहा था। जागीर पुनर्ग्रहण से पूर्व कभी भी उक्त बिज्या पुत्र श्री चोथू विवादग्रस्त भूमियों पर काबिज काश्त नही रहा, परन्तु सहवन से बिज्या पुत्र चौथू के नाम राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त भूमियों में 1/2 हिस्सा गलत इन्द्राज हो गया था जिस पर बिज्या पुत्र श्री चौथू का यह बात बतायी कि उसको स्वयं बिज्या पुत्र श्री चौथू ने अपने लिखित बंटवारानामा दिनांक 01.12.1973 में स्वीकार कर लिया तथा स्वयं बिज्या पुत्र श्री चौथू ने यह मान लिया कि उपरोक्त भूमियों से उसका कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है एवं उक्त भूमियों के वास्तविक मालिक प्रतिवादीनी संख्या 1 ता 8 (रेस्पोडेन्ट संख्या 2) ही है एवं उसके पश्चात बिज्या पूत्र श्री चौथू की मृत्यु हो गई । बिज्या के पुत्र श्री बंशी ने बदनियतिपूर्वक अपने पिता की गलत खातेदारी के आधार पर गलत प्रकार से उपरोक्त भूमियों की जमानत देदी, जिसका नोट राजस्व रिकार्ड पर लगा दिया। जिसका ज्ञान होने पर उक्त बंशी के विरूद्व एक घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने डिकी कर दिया तथा उपरोक्त भूमियों का प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण को खातेदारी घोषित कर दिया। उक्त दावे की द्वितीय अपील में बंशी लाल ने उक्त तथ्यों को स्वीकार किया ओर द्वितीय अपील में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने दिनांक 05.02.2007 को निर्णय पारित करते हुये न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के द्वारा पारित आदेश निर्णय दिनांक 24.08.2004 को निरस्त करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश व डिकी दिनांक 28.05.2001 की पुष्टि करते हुये प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 (अपीलार्थीगण) को उपरोक्त भूमियों का खातेदारी काश्तकार मान लिया । बिज्या पुत्र श्री चौथू ने दिनांक 01.12.1973 को वाददग्रस्त भूमियों से अपना कोई सम्बन्ध व सरोकार नही होना एवं प्रतिवादीगण (अपीलार्थीण) को उपरोक्त भूमियों का मालिक होना स्वीकार कर लिया तो उसकी पुत्री वादिनी (रेस्पोडेन्ट संख्या 2) को उपरोक्त दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी वाद संख्या 78/1989 में उपरोक्त विवाद्यक को तय करते हुये प्रतिवादीगण (अपीलार्थीगण) को उपरोक्त भूमियों का मालिक घोषित कर दिया तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में द्वितीय अपील संख्या 175/2004 जिला जयपुर आई डी नं. 125498/2004 में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 28.05.2001 की पुष्टि होने पर उपरोक्त भूमियों का मालिक मान लिया, जिन्हें शून्य घोषित करवाने का वादिया(रेस्पोडेन्ट संख्या–2) को कोई अधिकार नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त निर्णय व डिकी को खारिज करने का अधिकार नही है। भूमि विवादग्रस्त में से 12 बीघा भूमि महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति को विक्रय की जा चुकी है तथा साथ ही यह भी डिफेन्स लिया कि वादिया का

जिला कलक्टर जयपुर

वाद अवधि बाहर है तथा वादिया (रेस्पोडेन्ट संख्या 2) ने यह वाद गलत व झूंठा तथा अनावश्यक रूप से रकम ऐंठने की गरज से प्रस्तुत किया है जिसे विशेष हर्जे खर्च सहित खारिज किया जावे। माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम की गई बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम जयपुर द्वारा दिनांक 01.04.2015 को वादिनी (रेस्पोडेन्ट संख्या 2) को उपरोक्त भूमि में 1/4 हिस्से का खातेदारी काश्तकार घोषित करते हुए एवं पूर्व में उक्त भूमियों के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा वाद संख्या 78/1989 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2001 व राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपील डिकी संख्या 175/2004 में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2007 को अवैद्य व शून्य घोषित करते हुये उक्त वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गई। विचरण न्यायालय द्वारा उक्त अवैद्य एवं गैर कानूनी रूप से पारित निर्णय व डिक्री से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपील संख्या 19/2015/223 आर टी एक्ट राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा बिना किसी कारण व आधार के कानूनी बिन्दुओं पर बिना विचार किये ही निर्णय दिनांक 03.08.2015 को अपीलार्थीगण की अपील को अस्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनंका 01.04.2015 यथावत रखा गया है। राजस्व अपील अधिकारी के उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 4879/2015 प्रस्तुत की गई जो वर्तमान में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है । इस दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा पटवारी व तहसीलदार से मिल कर कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर के यहां प्रस्तुत करवाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.10.2015 को अन्तिम निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई जिसकी अन्तिम निर्णय व डिक्री की अपील संख्या 573/2015 राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष विचाराधीन है। इस दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा पटवारी से मिल कर नामान्तरकण की कार्यवाही कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5.11.2015 को तस्दीक करवा लिया। नामान्तरकरण सरासर गलत व विधि विरूद्व तस्दीक किया गया है। जिसकी जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार ने राजस्व रिकार्ड का ध्यान पूर्वक अध्ययन नहीं किया एवं अपीलार्थीगण को सुने बिना नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो विधि के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार जयपुर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से मिलीभगत करके फर्जी एवं झूंठे तथ्यों के आधर पर उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। तथा गुपचुप में फर्जीवाडा करके षडयंत्र रचकर रेस्पोडेन्ट से मिलीभगत करके विवादों के चलते एवं माननीय न्यायालय में लम्बित प्रकरण को नजर अन्दाज करते हुये उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया, है। उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, राजस्व अपील अधिकारी जयपुर एवं राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रकरण लम्बित है। न्याय का प्राकृतिक सिद्वान्त है कि जब किसी भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हो तो उस प्रकरण का जब तक निस्तारण नहीं हो तब तक उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में निर्णय व फैसला नही किया जा सकता, परन्तु विवादों एवं लम्बित प्रकरणों की जानकारी रखते हुए तहसीलदार जयपुर ने नामान्तरकरण खोलने का उक्त आदेश पारित कर दिया। इसलिए भी नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण द्वारा लगातार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लम्बित प्रकरणों की

कलक्टर जयपुर

जानकारी देते रहे एवं न्यायालय द्वारा स्थगन की जानकारी हेतु प्रमाणित प्रतिलिपि भी, लेकिन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा बिना किसी प्रकार का कोई ध्यान दिया गया और ना ही किसी प्रकार की कोई जांच की गई बल्कि नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये गये जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने के आदेश फरमावे ।

5. प्रत्यर्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम के वाद संख्या 97/2008 उनवानी मन्नी देवी बनाम छीतर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2015 एवं आदेश क्रमांक एसीएम/कोर्ट/2015/1466 दिनांक 29.10.2015 की पालना में तहसीलदार जयपुर द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिक प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत किया गया है, जो सही है। अतः अपील खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. अपीलार्थी ने तहसीलदार जयपुर द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण के विरूद्व यह अपील पेश की है। उभय पक्ष को गौर से सुनने, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के वाद संख्या 987/2008 ब उनवानी श्रीमती मन्नी देवी बनाम छीतर व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय दिनांक 20.10.2015 एवं आदेश दिनांक 29.10.2015 की अनुपालना में न्यायिक प्रक्रिया के तहत तहसीलदार जयपुर द्वारा राजस्व ग्राम कालवाड तहसील जयपुर का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2816 दिनांक 5.11.2015 तस्दीक किया गया है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण में हम किसी प्रकार की अनियमितता व त्रुटि नहीं पाते है। यदि सहायक कलक्टर के द्वारा पारित निर्णय जिसके आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज किया गया है, को किसी अन्य माननीय अपीलीय न्यायायल द्वारा निरस्त/संशोधित किया गया हो, तो अपीलान्ट तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद (अंकन) करवाने हेतु नियामानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा मय मिसल मातहत तहसीलदार जयपुर को प्रेषित हो । पत्रावली शुमार फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 26.10.02021 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/10/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर